an>

Title: Regarding renaming 'Bombay High Court' as 'Mumbai High Court'.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभागृह में पेश कर रहा हूं, जोकि पिछले 6 वर्षों से लॉ एंड जूडिशियरी मंत्रालय के पास अनिर्णित है। Changing the name of the High Court, Bombay to High Court, Mumbai, यह मुद्दा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे का नाम बदल कर मुम्बई किया गया उसे केन्द्र शासन की अनुमति मिली। उसके बाद दिसम्बर, 2008 से आज तक इसके बारे में महाराष्ट्र शासन की तरफ से केन्द्र शासन को बार-बार खत लिखे गए। जनवरी, 2009 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी केन्द्रीय लॉ एंड जूडिशियरी मंत्री जी से मिले। केन्द्रीय मंत्री जी ने उस वक्त आदेश दिया था कि "New Delhi is requested to instruct the concerned official to take immediate step to change the name of High Court of Judicature at Bombay as High Court of Judicature at Mumbai." लेकिन दुर्भाग्य से वह आज तक नहीं हो सका। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़णवीश जी ने अगस्त, 2012 में आदरणीय पंथ प्रधान जी से मिले और उनको खत लिखा, उनसे निवेदन किया।

मैं शून्य काल में आपके माध्यम से आदरणीय पंथ प्रधान जी से विनंती करता हूं कि 26 जनवरी से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदल कर मुम्बई हाई कोर्ट करने का निर्णय लें और वे खुद मुम्बई में आकर उसका नामकरण करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री राजीव सातव,

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली,

श्री राहुल शेवाले,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्री अरविंद सावंत और

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।